



न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजोदपुर
{हाल कार्यालय राज. आवासन मण्डल, जयपुर}

क.ओ.एस.डी./नविजा/११/ 1702

दिनांक :- 30-5-91

वाद संख्या : - 5/88/6

5/88/7

5/88/14

5/88/15

5/88/18

5/88/22

5/88/26

5/88/28

5/88/29

5/88/33

5/88/41

5/88/42

5/88/44ए

5/88/45

5/88/46

5/88/47

5/88/48

5/88/61

5/88/70

5/88/71

5/88/73

5/88/74

5/88/76

5/88/77

5/88/78

5/88/79

5/88/81

5/88/82

5/88/83

Received copy
अतिरिक्त
१५
10.6.91



5/88/84
 5/88/86
 5/88/88
 5/88/95
 5/88/96
 5/88/100
 5/88/102
 5/88/104
 5/88/105
 5/88/106
 5/88/107
 5/88/108
 5/88/109
 5/88/112
 5/88/114
 5/88/117
 5/88/119
 5/88/120
 5/88/121
 5/88/122
 5/88/123
 5/88/125

करी

विषय :- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय
 कालोनी बनाने हेतु आवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवा ई
 योजना लागू करने की तृतीय की उपरोक्त वादों की कुल भूमि 91
 बीघा 04 बिस्वा ।

पीठासीन अधिकारी :- 1. श्री जेठमल व्यास, विशेष अधिकारी, नगरीय
 विकास एवं आवासन विभाग, राज 0 जयपुर ।

पक्षकारान :-

1. भूमि के सभी संबंधित आतेदार ।
2. राजस्थान आवासन मण्डल जा रहे श्री पी.0.शा.0अग्रवाल
 सचिव, रा.जा.मं. श्री सी.एच.वर्मा सहसचिव रा.
 रा.जा.मं. एवं श्री जे.के. सिंघी, एडवोकेट ।

1 - राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता हेतु राज्य सरकार ने अपनी विहक्ति दि. 7.3.1988 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अधिप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अधिप्ति हेतु विहक्ति राज. राजपत्र 16 जून 1988 में प्रकाशित करा कर सर्वे जांच करने हेतु अधिष्ठाता तत्पश्चात् आवासन मण्डल के आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु भूमि की अधिप्ति की ओर आवश्यकता की ध्यान में रखते हुए धारा 17 की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर धारा 5 ए के प्रावधान लागू नहीं करते हुए धारा 6(4) (1) एवं 17(4) के अन्तर्गत अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय, जयपुर को अपनी विहक्ति नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना जो भाग 1 छा राज. राजपत्र 1 जून 1989 में प्रकाशित हुई है के द्वारा भूमि अधिप्ति की व्यवस्था करने एवं धारा 17 की (4) एवं धारा 9(1) में उल्लेखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस की समाप्ति पर अधिप्ति अधिन भूमि का कब्जा लेने के निर्देश दिये जिसकी अनुपालना में दिनांक 18.8.89 एवं 19.8.89 को भूमि का कब्जा लिया गया तथा उसी दिन आवासन मण्डल को सौंपा गया ।

केन्द्रीय भूमि अधिप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9(1) की अनुपालना में सार्वजनिक नोटिस क्र. 527 से 531 दिनांक 3.7.89 को जारी किये गये । इसके पश्चात् भूमि अधिप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9(3) के अन्तर्गत क्लेम एवं छातेदारों के हित की एवज में उचित मुआवजे एवं पैगोइश क्षेत्रफल के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु भी नोटिस जारी किये गये । नोटिस जारी करने पर छातेदारों की ओर से वाद संख्या 5/88, 48/117, 44ए, 70, 42, 26, 109, 33, 7, 14 एवं 5/88/71 में क्लेम पेश किये गए जो सलग्न पत्रावली है ।

छातेदारों की ओर से वाद सं. 5/88/7, 71 में क्लेम किया गया है कि 1,26,000/- प्रति बीघा के हिसाब से भूमि का मुआवजा दिलवाया जाये, 12/-मीटर के हिसाब से कच्ची डोली का मुआवजा दिया जाये, क्लेम के हिसाब से भूमि में स्थित घरों की 10000/- प्रति भेरा के हिसाब से कीमत दिखाई जाये । प्रत्येक गेज के 500/- व घेरी के 500/-



प्रति पत्र के विभाव से मांग की गई है कि प्रत्येक वर्ग 5 रु. के विभाव से
मांगी गई है।

वाढ तें मा 1/80/14, 25, 109, 26, 4, 70, 44ए, 117 व 48
में जे तेदारों की ओर से से कोम पेश किया गो है व लोकेत वडन भा पेश की
गई है उनी कताय मांग है कि 1 रु. 26 हजार रु. प्रति बीघा के विभाव
से भूमि का मुआवजा तथा एक लाख रु. की का मुआवजा विद्वया जाये। इसी
प्रकार पेडों के मुआवजे के लिए अगस्त 500 रु. अना 200 रु. अरंडू 300 रु.
जेर 500 रु. करीदा 400 रु. ब. वला 400 रु. नीबू 800 रु. जातुन 500 रु.
आम 800 रु. संफदा 400 रु. नीम 500 रु. लेजग 400 रु. आमूर 400 रु.
खेजडा 400 रु. एवं कूसे का 10/- रु. प्रति नग के विभाव से मांग की गई
है।

राजस्थान आवसतन मण्डल ने जवाब में भूमि की दर 25000/- रु.
प्रति बीघा दर्शाई है तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार
मुआवजा देने कीसहमत जगह की है। खातेदारों की ओर से सीमद्वी क्र. 1
दिनांक 30.8.84 ख.नं. 372.10 बीघा अंश भूमि 47,000 रु. प्रति बीघा
की दर से देने की तथा पुरेडम विस्तार के लिए कुनैसपुरा, मनोहरपुरा
टिलावाला, जादरीवाला, खोजावास एवं तांगानेर की विभिन्न खसरा नमरों
की भूमियों की अवाप्ति के लिए अवाई दि. 24.9.36 की प्रति पेश की है
जिसमें दिनांक 3.1.92 की प्रति भी 10 हजार रु. की दर से मुआवजा
दिया गया है। एक दूसरा अवाई दिनांक 18.9.90 की रिकॉर्ड के लिए ग्राम
सीतापुरा, तांगानेर में 20 बीघा 11 अंश भूमि की दर 21.11.80 की वि-
अप्ति के आधार पर 55000 रु. का मुआवजा 2 रु. प्रति बीघा की दर से
मुआवजा देने का पेश किया गया।

एक विवरण पत्र दिनांक 15.6.89 का प्रस्तुत हुआ है जो ख.नं.
924 ग्राम रजोपुर भूमि 1 बीघा 10 अंश का है जिसका 17 खसरा नमरों
द्वारा 85 हजार रु. में खरीद करवा बताया है। इसी प्रकार अन्य विवरण
पत्र दि. 3.9.90 का है जिसमें खसरा नं. 79 रकबा 19 खसरा जो ग्राम
सुखपुरा तहसील तांगानेर का बताया गया है जो 10 खसराओं द्वारा 1 लाख
4 हजार 500 रु. प्रति बीघा की दर से खरीद गया है। यह भूमि टोप
रोड से सुखपुरा ग्राम की जाबादी है। कि.मी. की दूरी पर बताई गई
है तथा तांगानेर नगर पालिका क्षेत्र से 5-6 कि.मी. दूर है अना विवरण पत्र

99

दि. 29.9.89, 7.9.89 आग ठीकरिया का 90 हजार रु. प्रति बीघा का होना बताया है। एक विक्रय पत्र 26.11.88 आग टी.आ. श्यापुर ख.नं. 843 का पेश किया गया है जो अवाप्तसुद्धा भूमि से। कि.मी. दक्षिण-पूर्व में स्थित है,। 52000 रु. प्रति बीघा से बेतान की गई है। इसके जोतिरक्त लिखित व मौखिक अहस में छातेदारी के वकील श्री भारीलाल शर्मा ने निम्न निर्णय भी विभिन्न उच्च न्यायालयों के अपने पक्ष में पेश किये :-

ए.आइ.आर. 1971 दिल्ली पेज 257, ए.आइ.आर. 1985 पेज 298, ए.आइ.आर. 1980 पेज 225, ए.आइ.आर. 1986 पेज 323, इलाहबाद इन्सु.सी. 608 ए.आइ.आर. 1981 पटना पेज 81 ए.आइ.आर. 1986 गुजरात पेज 24 डी.बी. ए.आइ.आर. 1986 दिल्ली पेज 10, सी.जी. ए.आइ.आर. 1982 दिल्ली एन.ओ.सी. पेज 165 ए.आइ.आर. 1986 पटना पेज 305 ए.आइ.आर. 1973 दिल्ली पेज 102 डी.जी.ए.आइ.आर. 1974 सर्वोच्च न्यायालय पेज 787 ए.आइ.आर. 1980 पेज 324 डी.जी. ए.आइ.आर. 1985 सर्वोच्च न्यायालय पेज 104 ए.आइ.आर. 1975 सर्वोच्च न्यायालय पेज 1723 से उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

लिखित अहस में इन्होंने कुआ, बोरिंग, डोले, पक्की नालियाँ पाइप लाइनों आदि के लिये मुआवजा दि. 4.11.88 की जी.एस.आर. की दर से दिलोन की माँग की है। भूखण्ड देने के बारे में ए.आइ.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 2205 ए.आइ.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 2036 ए.आइ.आर. 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 90 का हवाला देकर निवास के लिए भूखण्ड देने की प्रार्थना की है। उन्होंने यह भूमि जयपुर हवाई अड्डे के नजदीक व उत्तर दिशा में 1/2 कि.मी. पर बिठला आयुर्वेदिक संस्थान, 2 कि.मी. पर मात-वीय नगर एवं सांगानेर टाउन होने के कारण। लाख 25 हजार रु. प्रति बीघा बाजार दर से मुआवजा क्लेम किया है। रा.आ.म. ने दिनांक 21.7.88 की रजिस्ट्री सं. 898 पेश की है जो श्यापुर के ख.नं. 1446, 1450 रकबा 52 एअर बारानी भूमि जो रेल्वे लाइन के पास इस स्कीम से करीब 3 कि.मी. दूर है 52 हजार 500 रु. में बेचने की प्रस्तुत की है। यह बारानी भूमि है जो रोड साइड पर नहीं है और इसकी दर प्रति बीघा 24 हजार 230.88 रु. आती है।

वाद सं. 5/88/73 में मेजर खन्ना गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से एक दरखवास्त प्रस्तुत की गई कि इस वाद की भूमि 3 बीघा 02 बिस्वा उनकी खरीदशुदा है। किन्तु इसके समर्थनमें अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई सबूत पेश नहीं किया। अतः दरखवास्त खारिज

कर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। इसी प्रकार वाद सं. 5/88/41 कृष्ण कोपरोटेव हाउसिंग सोसाइटी ने दरखास्त पेश की थी कि इस वाद की 1-03 प्रिस्वा भूमि उनकी खरीद हुई है किन्तु अवसर दिये जाने के परवाह भी दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किये गये क्योंकि उनकी दरखास्त दि. 24.5.90 को खारिज की गई। वाद सं. 5/88/22 में विकास भवन गृह निर्माण सह-कारी समिति की ओर से दरखास्त प्रस्तुत की गई कि इस वाद की भूमि उनकी खरीदी हुई है किन्तु समिति में कोई दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिए गये।

इसी प्रकार वाद सं. 5/88/45 में स्वयं खातेदार ने एक दरखास्त पेश कर यह निवेदन किया कि उसने अपने हिस्से की 14 प्रिस्वा भूमि को विकास भवन गृह नि. समिति को विक्रय कर दिया है। किन्तु स्वयं खातेदार ने दि. 21.8.89 को 80/-मुआवजे की राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया। अतः उसके द्वारा वाद में दी गई दरखास्त भी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। विक्रय करने के बारे में भी कोई सबूत पेश नहीं किया।

वाद सं. 5/88/15, 16, 22, 28, 29, 41, 45, 46, 47, 61, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 88, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 109, 103, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 125 में दिल्ली ने भी नोटित तारिख होने के बाद भी कोई क्लेम पेश नहीं किया अतः उनके विरुद्ध एक-हीन निर्णय लिया जाकर अर्वा डी दिया जा रहा है।

खातेदारों की ओर से प्रस्तुत क्लेम एवं रा.ज.न. द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया दोनों पक्षों की अहम भी मुनी एवं मौका मुआयना भी किया गया। राजस्थान आवासन एजेंसी द्वारा पेश की गई रजिस्ट्री अवधि अर्थात् वर्तमान रजि. से दूर की है अतः यह बाजार दर विचारणीय नहीं है। खातेदारों द्वारा जताई गई रजिस्ट्रीयाँ अलग-अलग लोकेशन की तथा वर्तमान मामलों में धारा 4 की विधि से 1988 की है तथा ये बाजार भाव वाद के हैं। अतः ये दर भी स्वीकार नहीं की जा सकती। ख. नं. 372 की दिनांक 30.8.84 की रजिस्ट्री 96000 रु. प्रति बीघा की दर से विक्रय होने की पेशकरी है जो सांगानेर की आजादी से लगते हुए भू-भाग से संबंधित है अतः यह दर स्वीकार नहीं है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा रजि. की रजिस्ट्री सं. 1097 दि. 11.8.88 दर 26666 रु. प्रति बीघा की रजिस्ट्री सं. 1097 दि. 20.8.88 दर 25000 रु. प्रति बीघा रजिस्ट्री सं. 1097 दि. 20.11.88 दर 51515 रु. प्रति बीघा रजिस्ट्री सं. 620 दि. 15.6.89 दि. 15.6.89

25 हजार रु. प्रति बीघा की दर से विक्रय होना बताया है।

इन दरों की विक्रयद्वारा भूमि अलग-अलग लोकेशन की है।
माँके की स्थिति अनुसार इन प्रस्तावित दरों पर विचार किया गया तथा
वर्तमान अवधि में जमीन कीमतों में जो वृद्धि हुई है करीब 3
कि.मी. की दूरी पर स्थित है अतः पूर्व में जो अवार्ड इसके चिपती भूमियों
के संदर्भ में दिये गये हैं उन्हें आधार मानकर बाजार दर तय करना उचित
प्रतीत होता है।

इसके चिपती हुई भूमि के लिए अगस्त 1983 में धारा 4 की
विधि के आधार पर 26.27 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड
क्र. 2058 दि. 29.12.88 से जारी किया गया था जो आधार मानकर प्रति
वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि देते हुए बगरानी भूमि के लिए 47000/- रु. तथा
सिंचित भूमि के लिए 48000 रु. प्रति बीघा बाजार दर तय करते हुए तदनुकूल
नजदीक वाली भूमि के लिए एक हजार रु. अतिरिक्त देय होगा। खड़े व नाले
की भूमि के लिए 46 हजार रु. प्रति बीघा की दर तय की जाती है। इसके
अतिरिक्त गैर मुम्किन आजादीकेस की भूमिकी बाजार दर मकान आदि
शिष्ट करने के विचार से 10% अतिरिक्त वृद्धि देकर तय की जाती है।
पेड़ पौधों के लिए साधारणतया अमरुद 400 रु. अनार 100 रु. अरंडू 200 रु.
अर 200 रु. करीदा 200 रु. आवला बड़ा 200 रु. छोटा 100 रु. नीबू
400 रु. जामुन 350 रु. छोटा 200 रु. आम 800 रु. सफेदा बड़ा 200 रु.
मध्यम 150 रु. छोटा 100 रु. नीम बड़ा 150 रु. मध्यम 100 रु. छोटा
150 रु. सेज्जा 200 रु. कूत 8 रु. प्रति नग लेखे 200 रु. जल बड़ा 150
रु. मध्यम 100 रु. छोटा 50 रु. खेड़ा बड़ा 150 रु. मध्यम 100 रु.
छोटा 50 रु. पापडे 400 रु. तुरं एवं सूक्ती के संबंध में राजस्थान आवासन
मण्डल द्वारा दिया गया तकनीकी स्वीकार किया जाता है।

वाद सं. 5/88/33 में जातेदार द्वारा भूमि के बदले भूमि देने की
माँग की गई है। किन्तु भूमि की माँग पर राजस्थान आवासन मण्डल
द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। अतः इस स्तर पर विचार नहीं
किया जा सकता है।

वाद सं. 5/88/83 में कुल भूमि 26 बीघा 07 बिस्वा
सिवाय चक दर्ज है। किन्तु इस पर कुछ मकान निर्माण किये गये हैं जो अन्य-
धिकृत निर्माण होने से गुआवजा निधारण की आवश्यकता पड़ती है। इसी
प्रकार वाद सं. 5/88/100 में भी ख. नं. 1034 रकबा 01 बिस्वा तथा

अ.नं. 1001/4008 में रकबा 01 बिस्वा कुल भूमि 02 बिस्वा निवायिक दर्ज है। वाद सं. 5/88/84 में अ.नं. 32 रकबा 1-03 बिस्वा सड़क पी. डब्लू. डी. दर्ज है। वाद सं. 5/88/86 में कुल भूमि 9 बीघा 10 बिस्वा है जिसका कब्जा राजस्थान आवासन समित को सौंप दिया गया है अतः इसे अर्वार्ड में शामिल किया जा रहा है, किन्तु भूमि राजकीय होने से गुआवजा निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान में अर्वार्ड विनोद होने वाली भूमि का विवरण राजस्व रिकार्ड अनुसार इस प्रकार है :-

क्र०सं० वाद संख्या	आवेदक का नाम	अ.नं.	रकबा बीघा-बिस्वा
1. 5/88/6	काना पुत्र भूरा रैगर	547	0-18
	छीसी केरा काना	551	
		552	0-03
			1-01
2. 5/88/7	काना पुत्र छीसा रैगर	277	0-11
		278	
		281	0-10
			1-01
3. 5/88/14	मन्जु पतिन सत्यनारायण	347	0-11
	शिवरतन पुत्र छगनलाल	375	1-03
		417	1-04
	मनभरी पतिन छगनलाल	354	1-04
	गोविंदनारायण पि०दाभौदरलाल	426	0-10
			4-12
4. 5/88/15	समरथसिंह पुत्र बहादुर सिंह	146/149	1-04
		161	0-15
		162	0-18
		168	0-04
		169	1-13
		185	0-15
		192	0-11
			...9



195 0-07

196 0-10

197/198 0-11

200 0-07

201 0-08

209/210 0-14

211 0-14

212 0-13

150/163 0-14

11-06

5. 5/88/18 गोपाल पुत्र तादू गुल्ता पुत्र 95 0-02

जादू 103 0-16

0-18

6. 5/88/22 डगल्या, छोटू पि. च्छाती 1/2 49 1-03

गफूर पुत्र छोटू शा मुलमान 1/2 51 0-06

50

52 0-11

53 0-02

54 0-13

55 0-09

57 0-15

56/1546 0-11

4-10

7. 5/88/26 कानाराम पुत्र घासीराम 274 0-02

276 0-12

0-14

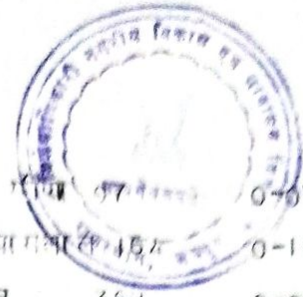
8. 5/88/28 महादेव पुत्र नारायण जगदीश 40 0-03

पुत्र लदरी

9. 5/88/29 प्रभुनारायण, काना, कालू मंगल्या, 687

पिता चौथू 1/2 मूल्या, गोपाल 681 0-15

पिता सुज्या 1/2 689



10. 5/88/33

हनुमान पुत्राद नरतीलाल मणि	367	0-07
भीतराम गोपाललाल श्यामलाल	368	0-16
श्रीमति श्रुंगरी देवी पटेल	362	0-02
रामलाल । लक्ष्मीराम लक्ष्मीराम	363	0-05
पि. दासोदरलाल मणि ।	367	0-15
	371	0-12
	365	1-03
	373	1-00
	374	1-00
	376	0-12
	372	1-03
		7-15

11. 5/88/41

विजल लाल पुत्र पांचू दरोगा	202	1-03
	203	

12. 5/88/42

प्रभुलाल कपूरवंद पुत्र पूरा	556	0-10
	560	0-06
	377	0-03
	378	0-18
	557	0-05
	558	0-09
	560/1460	0-03
		2-14

13. 5/88/44ए

विरदा पुत्र चौधू 1/2	109	0-02
जगदीश पुत्र मीनाराम 1/2	112	0-11
	113	0-01
	114	0-17
	115	0-10
	116	1-10
	117	1-02



14. 5/88/45

बरी पुत्र नानू 1/2

बीरदी पुत्र गोहरू खैजी 1/2

45 0-04

46 0-10

266/267/271 1-05

268 0-03

2-02

15. 5/88/46

भैरीलाल रामनारायण लालूराम 58

0-02

दा गोहर, पाचूराम पि. भागीरथ 59

0-06

60 0-16

61 0-08

1-12

16. 5/88/47

भैरीलाल रामनारायण लालूराम 71

0-04

दा गोहर, पाचूराम पुत्र भागीरथ 72
1/2

0-09

३१११ मेवा पुत्र गोविन्दा 1/2 73

0-12

74 0-04

75 0-13

76 0-11

77 0-16

78 1-09

79 0-04

80 0-14

81 0-17

82 0-16

83 1-14

9-10

17. 5/88/48

भूरा पुत्र भंगाराम

84 0-12

85 0-03

86 0-05

87 0-02

88 0-08

89 0-06

....12



1 12 1

	90	0-15
	91	1-02
	92	1-00
	93	0-15
	94	0-09

		5-17

18. 5/88/61	रा. गंगाल, ला. दूराम पि. का. लू रैगर 404	0-06
	405	0-10
	406	
	407	0-09
	409	0-05

		1-10

नोट:- वाद सं. 5/88/61 में सहायक कलेक्टर वा. क. लू
का स्थान आदेश वेदखल न कर यथास्थिति
अनाये रखने का है जवाब पर स्थान आदेश
न होने से इस मामले में अर्वाक दिया जा रहा है।

19. 5/88/70	जि. रदा पुत्र वी. थू 1/2	115/1413 0-02
	जगदीश पुत्र गंगाराम 1/2	69/1405 0-11

		0-13

20. 5/88/71	काना पुत्र घीला रैगर	246/1346 1-10
21. 5/88/73	गोविन्दा पुत्र भैराम रैगर	679/1593 2-11
		678/1590 0-11

		3-02

22. 5/88/74	लक्ष्मण पुत्र काना रैगर	679/1392 2-11
		678/1591 0-11

		3-02

23. 5/88/76	गंगीलाल पुत्र गंग वक्त रैगर	679/1595 3-02
24. 5/88/77	बा. लाल पुत्र भैराम रैगर	679/1597 3-02



25. 5/88/70	किशनलाल, कुन्दलाल जैतारण पुत्र पन्ना लाल	679/1599	3-02
26. 5/88/79	पूरा राम पुत्र गोरी रैगर	679/1599	3-02
27. 5/88/81	गंगा लक्ष्मण नरसिंहलाल पुत्र छोटीलाल रैगर	679/1602	3-02
28. 5/88/82	गोपाल पुत्र अशिराम लक्ष्मण पुत्र गोविन्दराम	679/1603	3-02
29. 5/88/83	तहसीलदार लाला नेर	37	0-05
		42 मि.	1-07
		96	0-09
		102	0-04
		108	1-00
		110	0-11
		111	0-05
		190 }	0-10
		191 }	
		199	0-08
		246	0-15
		265	0-08
		269	1-09
		287	2-02
		308	0-17
		319	0-06
		320	1-05
		391	0-14
		396	0-02
		403	0-11
		408	1-00
		413	0-10
		415	1-01
		416	0-05



619	0-18
632	2-03
634	0-06
656	0-10
657	0-04
564	0-02

26-07

30. 5/88/84	पी० ए० झू० डी०	32	1-03
31. 5/88/86	तहसीलदार सागा नैर	619/1483	0-01

619/1384 1-01

543 7-08

618 0-01

617 0-03

428 1-03

246/1347 1-13

679/1596 0-05

679/1601 0-02

679/1604 0-03

5-10

32. 5/88/88	केसर। पुत्र गंगाराम माली	920	0-02
-------------	--------------------------	-----	------

33. 5/88/95	नानगा पुत्र प्रताप माली	1015	0-01
-------------	-------------------------	------	------

34. 5/88/96	लाल पुत्र प्रताप माली	1019	0-01
-------------	-----------------------	------	------

35. 5/88/100	तहसीलदार	1034	0-01
--------------	----------	------	------

1001/4008 0-01

0-02

36. 5/88/102	गोपाल हरि, रमेश जाबू,		
--------------	-----------------------	--	--

गंगाराम, पि. कल्याण 1/2	246	0-01
-------------------------	-----	------

रामसहाय जगदीश पि. शोनाथ

37. 5/88/104	मरसा पुत्र सोनू 1/2	27	0-01
--------------	---------------------	----	------

लाधूराम, जिरधीचन्द, रामनारायण

पि. जेटू माली 1/2



38. 5/88/105	चौधू पुत्र मारसीताल डगल्या पुत्र जानन्दीताल नारायण पुत्र भारीताल ता दूरान पुत्र छैटा ताल	203	0-02
39. 5/88/106	जान्या, भौरिया पि. सोनापती	184	0-11
40. 5/88/107	कजोड, नारायण पुत्र गोरू	166	0-03
41. 5/88/108	भौरीताल, नानगरराम, गुला जवन्द. गोपाल, छयाली, पप्पू पि. देवाराम 1/3 ज्ञानाथ, गूलवन्द पिता जगन्नाथ 2/3	157	0-02
42. 5/88/109	कन्हैया ताल वृज मोहन, कविन्द्रगुप्त पि. प्रहलादराम चौधरी	106	0-02
43. 5/88/112	भौरिया पुत्र नानगा	388 389 392 402 407	0-06 1-13 0-17 2-15 2-11
			8-02
44. 5/88/114	गोहा पुत्र रामनारायण	412 414	0-14 0-16
			1-10
45. 5/88/117	नारायण पुत्र धन्ना गीण	384 385 393 394 396 397 403 406	1-05 0-02 0-15 0-07 0-07 2-10 0-06 2-04
			7-16



: 16 :

46. 5/88/119	पिता पुत्र भौरीलाल 1/2	63	2-19
	भैरवल पुत्र रामलाल 1/2	77	10-12

			13-11

47. 5/88/120	पाथू पुत्र दूधू गीणा	76	0-02
		79	0-05
		80	0-02
		82	0-02

			0-11

48. 5/88/121	नानगा, नारायण पि. पाथू	81	0-14
		83	8-05
		84	2-01

			10-20

49. 5/88/122	शारदा, जगन्नाथ, मूल्या पि. किसना	86	10-17
50. 5/88/123	कल्याण पुत्र गंगा राम	71	0-02
	भोलू पुत्र गोपाल		
51. 5/88/125	भरया पुत्र घासी, भगतावरा पुत्र रामनाथ जाट ।	116	14-10

यह भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त छातेदारों के नाम दर्ज है । अतः इनका अवार्ड दिया जा रहा है ।

छातेदारों की भूमि के अवार्ड की गणना अलग-अलग इस प्रकार की जाती है :-



वाद लेखा :- 5/88/6

जातेदार का साम :- काना पुत्र भूरा रैगर

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा जीघा 1 जिस्वा 01 राशि 48300=00
ग्राम शयोपुर भूमि की दर 46000/-
रु. प्रति जीघा 1
2. पेड, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निवर्णन का तकमीना मण्डल के अनुसार 3279=25
3. योग { 1 + 2 } 51579=25
2. धारा 23 {1} {2} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त दि. 16-6-88 मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15.8.89 तक कुल 429 दिन 7274=79
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि 15473=70
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 74327=74
5. दिनांक 5.1.90 को भुगतान प्राप्त {1}-2 21000=00 राशि {80%}
6. शेष भुगतान योम्य राशि 53327=74
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से बाज 2565=83
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 5.1.90=140 दिन
6.4.90 से 18.8.90 2958=59
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योम्य राशि 58852=16

नोट :- रु. 53327=74 पर दिनांक 19.8.90 भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से बाज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के तमाम की जावेगी ।

नोट :- जिलान्यायाधीश जयपुर के स्थान आदेश 3/1/90 दक्षिण श्रीगती घीसी देवी को दिये गये आदेशानुसार इस भूमि का मुआवजा कस्तरा-धिकार प्रमाण पत्र के आधार पर किया जावेगा ।

बाद संख्या :- 5/88/7

आतेदार का नाम :- काना पुत्र घीसा रैगर



1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)

रकबा बीघा 1 बिस्वा 01

51450=00

ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49000/-

रु. प्राप्ति बीघा 1

2. पेड पौधे, डोला, कुआं व अन्य निगमण

का तकमीना मण्डल के अनुसार

3. योग { 1 + 2 }

51450=00

2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त

दिनांक 16-6-88

गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक

से 18.8.89 तक कुल 429 दिन

7256=56

3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अतिरिक्त

अवाप्ति राशि

15435=00

4. योग = { 1 + 2 + 3 }

74141=56

5. दिनांक 16.1.90 को भुतान प्राप्त

राशि {80%}

{-}

21000=00

6. 16.1.90 शेष भुतान

योग्य राशि

53141=56

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष

तक 9% की दर से ब्याज

दिनांक 19.8.89 से दिनांक 16.1.90=151 दिन 2760.50

17.1.90 से 18.8.90 तक =214 दिन 2304=12

8. दिनांक 19.8.90 तक भुतान योग्य

राशि ।

58706=12

नोट:- रु. 53141=50 पर दिनांक 19.8.90 से भुतान की तिथि

तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल

द्वारा भुतान के समय की जावेगी ।



: 19 :

वाद लहया :- 5/08/14

जालेदार का नाम :- श्रीमती मन्मथी पारिवर लाल

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा बीघा 1 जिस्वा 04 57600=00
अर्रा नं. 354
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा 1
2. पेड, पोधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना गण्डल के अनुसार -
3. योग { 1 + 2 } 57600=00
2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 18.8.89 तक कुल 429 दिन { 8123=96
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि 17280=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 83003=96
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि { 80% } -
6. 18.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि 83003=96
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज 7470=35
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य राशि 1 90474=31

नोट:- रु. 83003=96 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/14

आवेदार का नाम :- 1 गोविन्दनारायण पुत्र दामोदर लाल

ख.नं. 426

1. भूमे की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 0 चिस्वा 10 24000=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे डोला, कुआँ व अन्य निर्माण
का तकमीन मण्डल के अनुसार 501=66
3. योग { 1 + 2 } 24501=66
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 18.8.89 तक {कुल 429 दिन} 3455=74
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अन्वित
अवाप्ति राशि 7350=49
4. योग्य = { 1 + 2 + 3 } 35307=89
5. दिनांक 13.7.90 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } {1} 10000=00
6. 13.7.90 शेष भुगतान
योग्य राशि 25307=89
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 2872=99
दिनांक 19.8.90 से दिनांक 13.7.90
330 दिन 218=41
14.7.90 से 18.8.90 35 दिन
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 28399=29

नोट :- रु 25307=89 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

वाद किया :- 5/88/14

खतेदार का नाम :- 11 शिवरत्न पु० लाल

ख.नं० 375 व 417

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 } 1 }

रकबा बीघा 2 बिस्वा 07

ग्रा. श्योपुर भूमि की दर 48000/-

रु. प्राप्ति बीघा 1

राशि

112800=00

2. पेड़, पौधे, बोला, कुंआ व अन्य निर्माण

का तकमीना गण्डल के अनुसार

958=83

3. योग } 1 + 2 }

113758=83

2. धारा 23 } 1 } ए के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त

मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.8.88

से 18.8.89 तक {कुल 429 दिन}

16044=66

3. धारा 23 } 2 } के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य

अवाप्ति राशि

34127=64

4. योग = } 1 + 2 + 3 }

163931=13

5. दिनांक को भुगतान प्राप्त

राशि } 80 % }

-

6. 18.8.89 शेष भुगतान

योग्य राशि

163931=13

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष

तक 9 % की दर से ब्याज

14755=80

दिनांक 19.8.80 से दिनांक 18.8.90

8. दिनांक 18.8.89 तक भुगतान योग्य

राशि ।

178684=93

नोट :- रु. 163931=13 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि

तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल

द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



: 22 :

वाद संख्या :- 5/88/14

आवेदक का नाम :- श्री मंगू पटेल सत्यनारायण

खाना 347

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा - बिस्वा 0.11 26400=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना गण्डल के अनुसार -
3. योग { 1 + 2 } 26400=00
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 18.8.89 तक {कुल 429 दिन} 3723=48
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 7920=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 38043=48
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. 18.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 38043=48
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 3423=00
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 41467=39

नोट:- रु. 38043=38 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

: 23 :



वाह संख्या :- 5/88/15

खातेदार का नाम :- तगरथ सिंह पुत्र बहादुर सिंह

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 11 बिस्वा 06 553700=00
ग्राम रसोपुर भूमि की दर 4900/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे, बोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना गण्डल के अनुसार 76330=55
3. योग { 1 + 2 } 630030=55
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 18.8.89 तक {कुल 429 दिन} 88860=19
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30% अतिवार्य अवाप्ति राशि 189006=16
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 737796=90
5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त राशि { 80 % } -
6. 18.8.90 शेष भुगतान योग्य राशि 737796=90
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज 66401=7
- दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य राशि । 804198=62

नोट :- रु. 737796=90 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/18

खातेदार का नाम :- गोपाल पुत्र लादू, गुल्ला पुत्र लादू कुम्हार

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)

रकबा बीघा 0 बिस्वा 18

राशि

44100=00

ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49000/-

रु. प्राप्ति बीघा 1

2. पेड़, पौधे, डोला, कुआं व अन्य निर्माण
का तकसीना मण्डल के अनुसार

358=80

3. योग { 1 + 2 }

44458=80

2. धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक {कुल 40 दिन}

6285=13

3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अतिरिक्त
अवाप्ति राशि

13337=64

4. योग = { 1 + 2 + 3 }

64081=57

5. दिनांक 19.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80% }

{-}

18000=00

6. 198.89 शेष भुगतान
योग्य राशि

46081=57

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9% की दर से ब्याज

4147=34

दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90

= {365 दिन}

8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि ।

50228=91

नोट:- रु. 46081=57 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/22

आवेदक का नाम :- ठगला, लोट्टी पि. मो. मुसलमान 1 1/2 हिस्सा
गफूर पुत्र लोट्टी शाह मुसलमान 1/2 हिस्सा

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 4 जिस्वा 10 2,16,000.00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा 1
2. पेड पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 45808=97
3. योग {1 + 2} 261 808=97
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक
से 19.3.89 तक कुल 430 दिन { 37011=89
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अन्विष्ट
अवाप्ति राशि 78542=67
4. योग = {1 + 2 + 3} 377363=53
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. शेष भुगतान
योग्य राशि -
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 33962=71
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 411326=24

नोट: - रु. 377363=53 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । चैक हिस्से अनुसार जमाये जावे ।



वाद संख्या :- 5/88/26

आवेदक का नाम :- कानाराम पुत्र धीराराम

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा बीघा - बिस्वा 14 33600=00
ग्रामशोपुर भूमि की दर 48000 /-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे डोला कुआ व अन्य निर्माण
का तकसीना मण्डल के अनुसार 97=77
3. योग { 1 + 2 } 33697=77
4. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 18.8.89 तक कुल 429 दिन 4752=77
5. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 10109=33
6. योग = { 1 + 2 + 3 } 48559=07
7. दिनांक 17.1.90 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } 14000=00
8. 17.1.90 शेष भुगतान
योग्य राशि 34859=87
9. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 1855=91
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 17.1.90
18.1.90 से 17.8.90 = 210 दिन 1805=07
10. दिनांक 17.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 38520=85

नोट :- रु. 34859=87 पर दिनांक 18.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/28

साक्षेदार का नाम :- महादेव पुत्र नारायण जगदीश पुत्र जदरी धोवी

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23}1} राशि
रकबा बीघा 0 पिस्वा 0.03 7200=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड पोधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 32422=26
3. योग } 1 + 2 } 39622=26
2. धारा 23}1}ए के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक . . .
से 18.8.89 तक कुल 429 दिन } 5588=36
3. धारा 23}2 के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 11886=67
4. योग = } 1 + 2 + 3 } 57097=29
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि } 80 % } -
6. शेष भुगतान
योग्य राशि -
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 5138=75
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 62236=05

नोट :- रु. 57097=29 पर दिनांक 19.8.90 भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देना होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/29

आवेदक का नाम :- प्रभु रांकरन काता, काता, मंगला, पि० नं० 1/2
मूल्या, गोपाल, पि० नं० 1/2

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा जीघा 0 बिस्वा 15 36000=00
ग्राम रयौपुर भूमि की दर 48000/-
रु० प्रति जीघा 1
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निमग्न
का तकमीना मण्डल के अनुसार -
3. योग § 1 + 2 § 36000=00
2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक
से 18.8.89 तक कुल 429 दिन § 5077=47
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 10800=00
4. योग = § 1 + 2 + 3 § 51877=47
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि § 80 % -
6. शेष भुगतान
योग्य राशि -
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 4668=97
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.3.90
8. दिनांक 18.3.90 तक भुगतान योग्य
राशि 56546=45

नोट :- रु० 51877=47 पर दिनांक 19.6.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । बैंक हिस्से अनुसार बनाये जावे ।



वाद संख्या :- 5/88/33

आवेदार का नाम :- हनुमान्ताद तादूराम, कालूराम, दासीदरलाल
नरसीलाल, सीताराम, गोपाल, श्यामलाल पुत्र
रामप्रताप व श्रीमती अंगारी देवी पत्नि रामप्रताप

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)

रकबा बीघा 7 पिछा 15

राशि 372000=00

ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-

रू. प्रति बीघा 1

2. पेड़, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य विगण
का तकमीना मण्डल के अनुसार

54284=87

3. योग } 1 + 2 }

4, 26, 234.07

2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त

मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88

से 18.8.89 तक कुल 429 दिन

46019=57

3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि

1, 27, 885.46

4. योग = } 1 + 2 + 3 }

6, 00, 139.90

5. दिनांक 18.8.90 को भुगतान प्राप्त
राशि } 80 % }

6. 18.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि

6, 00, 139.90

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज

54, 017.09

दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90

8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि ।

6, 54, 206.99

नोट:- रू. 6, 00, 139.90 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । बैंक हिस्से अनुसार अलग-
अलग जमाये जावे ।

बाद लीया :- 5/88/41

आवेदार का नाम :- विजयलाल पुत्र पट्टि दरीया



राशि

55200=00

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 1 विस्वा 03
ग्राम शसोपुर भूमि की दर 48000/-
रु प्रति बीघा ।
2. पेड, पौधे, बोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना गण्डल के अनुसार 709=20
3. योग { 1 + 2 } 55908=20
2. धारा 23 {1} {2} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15.6.88 से 18.8.89 तक कुल 429 दिन } 7885:35
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त अवाप्ति राशि 16772=46
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 80566=01
5. दिनांक को भुक्तान प्राप्त राशि { 80 % } -
6. शेष भुक्तान योग्य राशि 80566=01
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज 7250=94
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुक्तान योग्य राशि । 87816=95

नोट:- रु. 80566=01 पर दिनांक 19.8.90 से भुक्तान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी ।

28



वार तहिया : - 5/88/42

अतेशर का नाग : - प्रभु लाल कौर चन्द पुत्र श्री पूरा

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1}

राशि

रकबा बीघा 2 विस्वा 14

129600=00

गाम रथोपुर भूमि की दर 48000/-

रु प्रति बीघा 1

2. पेड़, पौधे, होता, कुआं व अन्य निर्माण

का तकमीना गण्डल के अनुसार

18711=50

3. योग { 1 + 2 }

148311=50

2. धारा 23 {1} {2} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त

मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88

से 18.8.89 तक कुल 429 दिन

20918=01

3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त

अवधि राशि

44493=45

4. योग = { 1 + 2 + 3 }

213722=96

5. दिनांक 22.3.90 को भुतान प्राप्त

राशि { 80 % }

{ - }

54000=00

6. 22.3.90 शेष भुतान

योग राशि

159722=96

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष

तक 9 % की दर से ब्याज

11541=03

दिनांक 19.8.89 से दिनांक 22.3.90=219 दिन

217613=77

दिनांक 23.3.90 से 18.8.90

5356=18

136 दिन शेष राशि 159722=96

8. दिनांक 17.8.90 तक भुतान योग

राशि 1

176620=17

नोट:- रु. 159722=96 पर दिनांक 18.8.90 से भुतान की तिथि

तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल

द्वारा भुतान के समय की जावेगी ।

वाद संख्या :- 5/88/44-ए

खतदार का नाम :- वीरदा पुत्र चौधू 1/2, जगदीश पुत्र रामराज माली 1/2



1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 4 पिसवा 13 227850=00
ग्राम श्यापुर भूमि की दर 49000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला कुआ व अन्य निगमण का तकमीना मण्डल के अनुसार 10100=00
3. योग { 1 + 2 } 237950=00
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक से 19.8.89 तक कुल 430 दिन } 33638=95
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अधिचार्ज अवाप्ति राशि 71385=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 342973=95
5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त राशि { 30 % } 93000=00
6. शेष भुगतान योज्य राशि 249973=95
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से व्याज 22491=65
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योज्य राशि । 272471=60

नोट रु. 249973=95 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । बैंक हिस्सेनुसार जनाये जावे ।



वादि संख्या :- 5/88/45

जमींदार का नाम :- बररी पुत्र नानू 1/2, बीरबी पुत्र मोहन धोबी 1/2

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} } राशि
रकबा 2 बिस्वा 02 100800=00
ग्राम रणोपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्राप्ति जीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार -
3. योग { 1 + 2 } 100800=00
4. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक
से 18.8.89 तक कुल 429 दिन } 14216=94
5. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य
अवाप्ति राशि 30,240.00
4. योग { 1 + 2 + 3 } 145256=94
5. दिनांक 21.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } - } 42000=00
6. 21.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 103256=94
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 71=63
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 20.8.89 = 2 दिन
दिनांक 21.8.89 से 18.8.90 = 363 दिन 9242=20
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 112570=77

नोट :- रु. 103256=94 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देना होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी । भुगतान जमींदारों के हिस्सेनुसार तलग-
अलग चैक द्वारा किया जावेगा ।



वा. संख्या :- 5/88/46

खतेदार का नाम :- श्री रीला ल. रामनारायण, तान्दूर, रा. गौ. पर्व-
रा. ग. पिसरा न. भा. गिरथ

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 1 बिस्वा 12 76800=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा 1
2. पेड, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का सकमीना गण्डल के अनुसार 64264=96
3. योग { 1 + 2 } 141064=96
2. धारा 23 {1} {2} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 18.8.89 तक {कुल 430 दिन} 19942=33
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य
अवाप्ति राशि 42319=48
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 203326=77
5. दिनांक 19.8.89 से भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 203326=77
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 18299=40
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 221626=17

नोट :- रु. 203326=77 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



: 35 :

बाद लेखा :- 5/88/47

खेतदार का नाम :- मेधा पुत्र गोविन्द 1/2 कुल भूमि {9-10}

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 4 बिस्वा 15 राशि 228000=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड पोथे डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना गण्डल के अनुसार 59674=13
3. योग { 1 + 2 } 287674=18
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक ... से 19.8.89 तक कुल 430 दिन } 40668=45
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि 86302=25
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 414644=88
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि } 80 % } -
6. शेष भुगतान योग्य राशि -
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90 37318=03
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि । 451962=91

नोट :- रु. 414644=88 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गण. गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या 5/88/47

आवेदक का नाम :- भोरीलाल, रामनारायण लाल दूराग दास दूर, लाल दूराग

पुत्र श्री भागीरथ 1/2 कुल भाग - 9=10

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धरा 23 1/2

राशि

रकबा बीघा 4 बिस्वा 15

220000=00

ग्राम श्यामपुर भूमि की दर 40000/-

रु. प्रति बीघा

2. पेड़, पोथे, डोला, कुआं व अन्य निगमन

कातकीन गण्डल के अनुसार

40471=24

3. योग 1 + 2

260471=24

2. धरा 23 1/2 के अन्तर्गत 12 1/2 अतिरिक्त

आवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक ...

से 19.8.89 तक कुल 430 दिन

37953=73

3. धरा 23 1/2 के अन्तर्गत 30 1/2 अनिवार्य

अवाप्ति राशि

80541=37

4. योग = 1 + 2 + 3

386966=34

5. दिनांक को भुगतान प्राप्त

राशि 80 1/2

-

6. शेष भुगतान

योग्य राशि

-

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष

तक 9 1/2 की दर से व्याज

34926=97

दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90

8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य

राशि ।

421793=31

नोट:- रु. 386966=34 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि

तक 15% की दर से व्याज देना होगा जिसकी गणना गण्डल

द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/48

आवेदक का नाम :- भूरा पुत्र गंगाराम गुर्जर ता. देह

- | | |
|--|-------------------|
| 1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 5 विस्वा 17
ग्राम श्यापुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्रति बीघा । | राशि
280800=00 |
| 2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य विकास के तकगीना गण्डल के अनुसार | 94581=44 |
| 3. योग {1 + 2 } | 375381=44 |
| 2. धारा 23 {1} {2} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त पुंजावजा राशि वार्षिक दर से दिनांक से 19.8.89 तक कुल 430 दिन | 53067=61 |
| 3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि | 112614=43 |
| 4. योग = {1 + 2 + 3 } | 541063=48 |
| 5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त राशि { 80% } | {-} 117000=00 |
| 6. 19.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि | 424063=48 |
| 7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90 | 38165=71 |
| 8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि । | 462229=19 |

नोट. - रु. 424063=48 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



: 38 :

वाद संख्या :- 5/88/61

आवेदक का नाम :- रामपाल लाल द्वारा पि० कांतू रैगर

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)।
रकबा बीघा 1 बिस्वा 10
ग्राम रयौपुर भूमि की दर 49000/-
रु. प्रति बीघा ।
राशि
73500=00
2. पेड़, पोछे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण
का तकसीना मण्डल के अनुसार
36169=47
3. योग { 1 + 2 }
109669=47
2. धारा 23(1) ए के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15.6.88
से 18.8.89 तक कुल-429 दिन।
15467=90
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अन्विष्ट राशि
32900=84
4. योग={ 1 + 2 + 3 }
158038=21
5. दिनांकको भुगतान प्राप्त
राशि { 80% }
-
6. 18.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि
158038=21
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9% की दर से ब्याज
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
14223=43
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि ।
172261=64

नोट:- रु. 158038=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



: 39 :

वाद लेखा :- 5/88/70

आसेदार का नाम :- बिरदा पुत्र चौधू 1/2, जलसी पुत्र गिलाराम 1/2

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धरा 23 1/2

रकबा बीघा 0 बिस्वा 13

गाम श्योपुर भूमि की दर 48000/-

रु. प्रति बीघा 1

राशि

31200=00

2. पेड, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार

61379=19

3. योग 1 + 2

92579=19

2. धरा 23 1/2 के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15.6.88
से 18.8.89 तक कुल 429 दिन

13057=46

3. धरा 23 1/2 के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि

27773=75

4. योग=1 + 2 + 3

133410=40

5. दिनांक 19.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि 80% 1-1

13000=00

6. 198.89 शेष भुगतान
योग्य राशि

120410=40

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90

10836=93

8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 1

131247=33

नोट:- रु. 120410=40 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या:- 5/88/71

खतेदार का नाम :- काना पुन घीसा रैगर

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) } राशि
रकबा बीघा 1 बिस्वा 10 } 73500=00
ग्राम शयोपुर भूमि की दर 49000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पोधे डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना गण्डल के अनुसार } 2134=59
3. योग } 1 + 2 } 75634=59
2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 18.8.89 तक कुल 429 दिन } 10667=58
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि } 22690=37
4. योग = } 1 + 2 + 3 } 108992=54
5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि } 80% } -
6. 18.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि } 108992=54
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज } 9809=32
दिनांक 18.8.89 से दिनांक 17.8.90
8. दिनांक 17.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । } 118801=86

नोट:- रु. 108992=54 पर दिनांक 18.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/73

आवेदार का नाम :- गोविन्दा पुत्र मेहराग रैगर

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा जीघा 3 जिस्वा 2 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/- रु. प्रति जीघा 1	राशि 148800=00
2. पेड़, पौधे डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	-
3. योग { 1 + 2 }	148800=00
2. धारा 23(1)(2) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 18.8.89 तक कुल 429 दिन	20986=91
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि	44640=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 }	214426=91
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि { 80 % }	-
6. ... शेष भुगतान योग्य राशि	214426=91
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90	19298=42
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य राशि ।	233725=33

नोट :- रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय हो जावेगी । भुगतान राजस्व भू अभिलेख से मालिकाना हक प्रस्तुत करने के अनुसार देह है ।



वाद संख्या :- 5/88/74

आवेदक का नाम :- लक्ष्मण पुत्र काना रैमर

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)

रकबा बीघा 3 बिस्वा 2

ग्राम रघोपुर भूमि की दर 48000/-

रु. प्रति बीघा 1

राशि

148800=00

2. पेड़, पोछे, डोला, कुआ व अन्य निगम
का तकसीना मण्डल के अनुसार

3. योग } 1 + 2 }

148800=00

2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.8.88
से 18.8.89 तक कुल 429दिन

20986=91

3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि

44640=00

4. योग = } 1 + 2 + 3 }

214426=91

5. दिनांकको भुगतान प्राप्त
राशि } 80 % }

6. 18.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि

214426=91

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90

19298=42

8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि ।

233725=33

नोट: रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.89 से भुगतान की तिथि तक
15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी । भुगतान रा जस्व भू अभिलेख से मालिकाना
हक के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर देय है ।



वा द संख्या :- 5/88/76

आतेदार का नाम :- मागी लाल पुत्र गंगा जका

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 1/2
रकबा बीघा 3 विस्वा 2
ग्राम रघोपुर भूमि की दर 48000/-
रु प्रति बीघा
राशि
148800=00
2. पेड़, पोथे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार
-
3. योग 1 + 2
148800=00
2. धारा 23 1/2 ए के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 18.8.89 तक कुल 429 दिन
20986=91
3. धारा 23 1/2 ए के अन्तर्गत 30% अनिवार्य
आवाप्ति राशि
44640=00
4. योग = 1 + 2 + 3
214426=91
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि 80%
-
6. 18.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि
214426=91
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9% की दर से ब्याज
19298=42
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि ।
233725=33

नोट:- रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट:- राजस्व रिकार्ड से गालिकाना हक के सचूत पेश करने पर भुगतान
देय होगा ।



वाद संख्या :- 5/88/76

खतेदार का नाम :- मांजी लाल पुत्र गंगा नारायण

1. भूगो की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकजा जीघा 3 पिस्वा 2
ग्राम रानीपुर भूगो की दर 48000/-
रु. प्रति जीघा 1 राशि 148800=00
2. पेड, पौधे डोला, कुंआ व अन्य निमार्ण का तकमीना गण्डत के अनुसार -
3. योग { 1 + 2 } 148800=00
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 18.8.89 तक {कुल 429 दिन} 20986=91
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि 44640=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 214426=91
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि { 80 % } -
6. 18.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि 214426=91
7. कब्जा प्राप्त करने की तैयि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90 19298=42
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य राशि 233725=33

नोट:- रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तैयि तक 15 % की दर से ब्याज देग होगा जिसकी गणना गण्डत द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट:- राजस्व रेकार्ड से गालिकाना हक के सबूत पेश करने पर भुगतान देय होगा ।



वाद संख्या :- 5/88/77

आवेदक का नाम :- बाबूलाल पुत्र भैराम रागर

- | | |
|--|----------------|
| 1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 3 बिस्वा 2 | राशि 148800=00 |
| ग्राम रघोपुर भूमि की दर 4000/- रु. प्रति बीघा । | |
| 2. पेड़, पौध, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकसीना गण्डल के अनुसार | - |
| 3. योग } 1 + 2 } | 148800=00 |
| 2. धारा 25(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 18.8.89 तक कुल 429 दिन | 20986=91 |
| 3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि | 44640=00 |
| 4. योग = } 1 + 2 + 3 } | 214426=91 |
| 5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त राशि 80% | - |
| 6. 18.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि | 214426=91 |
| 7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90 | 19298=42 |
| 8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य राशि | 233725=33 |

नोट :- रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट:- राजस्व रिकार्ड से मालिकाना हक के सप्रत पेश करने पर भुगतान देय होगा ।



बाद संख्या :- 5/88/78

आवेदार का नाम :- किशन लाल कुन्दन लाल तैयारण

पुत्र वन्नालाल

1. भू- की कीमत अन्तर्गत धरा 23 {1}

राशि

रकबा जीघा 3 विस्वा 2

148800=00

ग्राम श्योपुर भू- की दर 48000/-

रु. प्राप्ति जीघा 1

2. पेड, पोछे, खोला, कुआ व अन्य निर्माण

का तकमीना मण्डल के अनुसार

-

3. योग { 1 + 2 }

148800=00

2. धारा 23 {1} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त

मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88

से 18.8.89 तक {कुल 429 दिन}

20986=91

3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य

अवधि राशि

44640=00

4. योग = { 1 + 2 + 3 }

214426=91

5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त

राशि { 80 % }

-

6. 18.8.89 शेष भुगतान

योग्य राशि

214426=91

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष

तक 9 % की दर से ब्याज

19298=42

दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90

8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य

राशि ।

233725=33

नोट:- रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि

तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसका गणना मण्डल द्वारा

भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट:- राजस्व रेकार्ड से गणितिकाना हक के समूत पेश करने पर भुगतान देय होगा ।



वार लेखा :- 5/88/79

खतेदार का नाम :- पूरा राम पुत्र मेहरा रैगर

1. भूमि की वीक्षण अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा जीघा 3 बिस्वा 2 148800=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु प्रति जीघा 1
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकनीका मण्डल के अनुसार -
3. योग 1 4 2 148800=00
2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.89 से 18.8.89 तक कुल 429दिन 20986=91
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि 44640=00
4. योग = 1 + 2 + 3 214426=91
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि 80% -
6. शेष भुगतान योग्य राशि 214426=91
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 19.8.89 से दिनांक 19.8.90 19293=42
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि 233725=33

नोट:- रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसका गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट:- मालिकाना हक का राजस्व रिकार्ड पेश करने पर भुगतान देय होगा ।

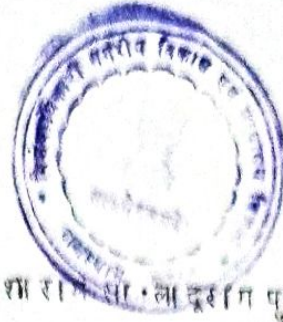
बाद किया :- 5/8/81

सातेदार का नाम :- गंगासहाय रहसिहलाल पुत्र छाती लाल रैगर

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा बीघा 5 बिस्वा 02 148800=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु प्रतिबीघा ।
2. पेड: पोछे डोला, कुआ व अन्य निगमण
का तकमीना मण्डत के अनुसार -
3. योग } 1 + 2 } 148800=00
2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 18.8.89 तक } 429 दिन } 20986=91
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य
अवाप्ति राशि 44640=00
4. योग= } 1 + 2 + 3 } 214426=91
5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि } 80% } -
6. 18.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 214426=91
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 19298=42
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 253725=53

नोट:- रु. 214426=91 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक
15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डत द्वारा भुगतान
के समय की जावेगी ।

नोट:- मालिकाना हक के संपूर्ण पेश करने पर भुगतान देय है ।



वादि संख्या :- 5/88/82

आवेदक का नाम :- गोपाल पुत्र आशाराम शा. ला. दुराग पुत्र गौविन्दराम

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकम बीघा 3 बिस्वा 2 148800=00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48000/-
रु. प्राप्त बीघा 1
2. पेड़, पौधे डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना गण्डल के अनुसार -
3. योग } 1 + 2 } 148800=00
2. धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 18.8.89 तक कुल 429 दिनों 20986=92
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि 44640=00
4. योग = } 1 + 2 + 3 } 214426=92
5. दिनांक को भुक्तान प्राप्त राशि 80% } -
6. 18.8.89 शेष भुक्तान योग्य राशि 214426=92
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज 19298=42
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुक्तानयोग्य राशि 1 233725=34

नोट:- रु. 214426=92 पर दिनांक 19.8.90 से भुक्तान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुक्तान के समय की जावेगी । बैंक अलग अलग जनाये जाये

नोट:- राजस्व रेकार्ड के आधार पर मातृकाना हक के तहत पेश करने पर भुक्तान देय होगा ।



वाद लिये :- 5/88/88

जालेदार का नाम :- केसर पुत्र गंगा राम माली

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा - जित्वा 2 राशि 5280=00
ग्राम सांगानेर भूमि की दर 52800/-
रु प्रति बीघा
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकसीना मण्डल के अनुसार 72528=56
3. योग { 1 + 2 } 77808=56
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त पुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15.6.88 से 19.8.89 तक कुल 430 दिन 10999=78
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अन्वित राशि अवाप्ति राशि 23342=56
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 112150=90
5. दिनांक के भुतान प्राप्त राशि { 80% } -
6. 19.8.89 शेष भुतान योम्य राशि 112150=90
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90 10093=58
8. दिनांक 19.8.90 तक भुतान योम्य राशि 122244=48

नोट :- रु 112150=90 पर दिनांक 20.8.90 से भुतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुतान के समय की जावेगा ।



वाद संख्या :- 5/88/95

आवेदक का नाम :- नानगा पुत्र प्रताप माती

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1}

रकबा जीघा 0 बिस्वा 01

ग्राम सांगानेर भूमि की दर 52800/-

रु. प्रति जीघा 1

राशि

2640=00

2. पेड, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निमग्न
का तकमीना गण्डल के अनुसार

13725=21

3. योग { 1 + 2 }

16365=21

2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक { कुल 430 दिन }

2313=54

3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 50 % अतिरिक्त
अवधि राशि

4909=56

4. योग = { 1 + 2 + 3 }

23588=31

5. दिनांक की भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % }

-

6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि

23588=31

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज

2122=94

दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90

8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 1

25711=25

नोट :- रु. 23588=31 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 13 % की
दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुगतान के
समय की आवेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/96

आवेदक का नाम :- लाला पुत्र प्रताप माली

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा - बिस्वा 01 2585=00
ग्राम जागाहेर भूमि की दर 51700/-
रु. प्रति बीघा 1 {गेर मुम्कीन आजादी}
2. पेड़ पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 50=00
3. योग { 1 + 2 } 2635=00
2. धारा 23 {1} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक {कुल 430 दिन} 372=50
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 790=50
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 3768=00
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 3768=00
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 339=12
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 4107=12

नोट :- रु. 3768=00 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/102

आवेदक का नाम :- गोपाल, हौर, रमेश जू गंगासहायपि० कल्याण 1/2
राम तहाय, जगदीश पि० रमोनाथ 1/2

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धरा 23(1) राशि
रकबा बीघा - बिस्वा 01
ग्राम नगरीय वाला भूमि की दर 52800/-
रु. प्रति बीघा क्रिष्ण अर्थात् दी है अतः 12%
अधिक की दर से
2640=00
2. पेड़, पौधे, बोला, कुआ व अन्न निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार
73219=30
3. योग { 1 + 2 }
75859=30
2. धरा 23(1) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त
गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक कुल 429 दिन
10690=27
3. धरा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य
अवाप्ति राशि
22757=79
4. योग = { 1 + 2 + 3 }
109316=36
5. दिनांक 19.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80% }
-
6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि
109316=36
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9% की दर से ब्याज
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 19.8.90
9838=47
8. दिनांक 18.8.89 तक भुगतान योग्य
राशि।
119154=83

नोट :- रु. 109316=36 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15% की दर से ब्याज देना होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी। बैंक हिस्से अनुसार उस से जावे।



वाद संख्या :- 5/88/104

आवेदार का नाम :- सारता पुत्र सोनू 1/2, बाबू राम विरधीनन्द रामन रायण
पि. ओढ़ माली 1/2

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धरा 23.1.1} राशि
रकबा वीघा - विस्था 03 7920=00
ग्राम बम्बाता भूमि की दर 52800/-
रु. कुम्भेत वीघा 1. आजादी की दर 10% अधिक देय है।
2. पेड़, पौधे, बोला कुआ, व अन्य निर्माण
का तकनीका गण्डल/अनुसार 10527=60
3. योग { 1 + 2 } 18447=60
2. धरा 23.1.1.1.1 के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक कुल 429 दिन 2601=86
3. धरा 23.2.2 के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 5534=28
4. योग={ 1 + 2 + 3 } 26583=74
5. दिनांक 19.8.89 को भुक्तान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. 19.8.89 शेष भुक्तान
योग्य राशि 26583=74
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 2392=53
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुक्तान योग्य
राशि 28976=27

नोट :- रु. 26583=74 पर दिनांक 19.8.90 से भुक्तान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसका गणना गण्डल द्वारा
भुक्तान के समय की जावेगी। चैक हिस्से अनुसार अलग 2 बनाये जाते।

वाद संख्या :- 5/88/105

आवेदार कर नाम :- चौधू पृ० मारती लाल उगत्या पुत्र अनन्दी लाल
कल्याण पुत्र भौरी लाल लाल दूरापुत्र जौदा लाल

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा बीघा - बिस्वा 02 4800=00
ग्राम बम्बाला भूमि की दर 40000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआँ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार 77203=36
3. योग = 1 + 2 82003=36
2. धारा 23(1) ए के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक कुल 430 दिन 11592=80
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि 24601=00
4. योग = 1 + 2 + 3 118197=16
5. दिनांक 19.8.89 का भुगतान प्राप्त राशि 80 % -
6. 19.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि 118197=16
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज 10637=74
दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य राशि 128834=90

नोट :- 118197=16 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

वादि संख्या :- 5/88/106

खातेदार का नाम :- अम्मा, भूरिया, पुत्र लालू माली

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 0 जिस्वा 11 29040=00
ग्राम जम्मा ला भूमि की दर 52800/-
रु प्रति बीघा 1 गैर मु० आबादी
2. पेड, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निगमण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 15728=30
3. योग { 1 + 2 } 44828=30
2. धारा 23 {1} {र} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक
से 19.8.89 तक कुल 430 दिन 6337=37
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 13448=49
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 64614=16
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि { 10 % } -
6. शेष भुगतान
योग्य राशि -
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 5815=27
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 70429=43

नोट:- रु. 64614=16 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 10 %
की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान
के समय की जावेगी ।



: 57 :

बाद संख्या :- 5/29/107

आवेदक का नाम :- कजोड, नारायण पुत्र गौर माली

1. भूमि की क्षीण अन्तर्गत धारा 23(1) के अन्तर्गत राशि
रकबा जीछा - बिछा 0.05 7920=00
ग्राम अन्तर्गत भूमि की दर 52000/-
रु प्राप्ति जीछा गौर पुं आवादी
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 43956=70
3. योग { 1 + 2 } 51376=70
2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक
से 19.8.89 तक कुल 430 दिन 7333=80
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 15563=01
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 74773=51
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. शेष भुगतान
योग्य राशि -
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 6729=61
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 81,503.12

नोट:- रु. 74,773.51 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

नोट:- भुगतान मालिकाना हक बाजत राजस्व रिकार्ड पेश करने पर
किया जावेगा ।



: 59 :

खाद लैबरा :- 5/05/100

खेतीदार का नाम :- भोरीलाल, नाना राम, गुलाब चन्द, गोपाल,
ह्यातीराम, पद्म पुत्र सेवाराय 1/3, रघुनाथ पूत चन्द
पुत्र जगन्नाथ 2/3

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा जीघा - विस्वा 02 5200=00
ग्राम जम्माता भूगो की दर 52000/-
रु. प्रति जीघा 1 (बैस एकड़ आबादी)
2. पेड़, पौधे, डोता, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 22440=09
3. योग } 1 + 2 } 27720=09
2. धारा 23(1)(ii) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त
कुआवजा राशि। दर से दिनांक 16.8.89
से 19.8.89 तक {कुल 430 दिन} 3918=89
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य
अवाप्ति राशि 8316=26
4. योग = } 1 + 2 + 3 } 39956=04
5. दिनांक को भुतान प्राप्त
राशि } 80% } -
6. 19.8.89 शेष भुतान
योग्य राशि 39956=04
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9% की दर से ब्याज 3596=04
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुतान योग्य
राशि । 43552=08

नोट:- रु. 39956=04 पर दिनांक 19.8.90 से भुतान की तिथि
तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल
द्वारा भुतान के साथ की जावेगी । बैंक हिस्से अनुसार अलग-2
जमाये जावें ।



: 59 :

वाइ लेखा :- 5/88/109

खातेदार का नाम :- कन्हैयालाल, वृन् गोहन कोवन्ड कुमर पुत्र प्रह्लाद
बोधरी

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 0 बिस्वा 02 5280=00
ग्राम बन्जाला भूमि की दर 52800/-
रु. प्रति बीघा 1 गैर मु0 अजादी -
2. पेड, पौधे, डोल, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार
3. योग { 1 + 2 } 5280=00
2. धारा 23 {1} ए के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक.....
से 19.8.89 तक कुल 430 दिन 746=43
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30% अनिवार्य
अवाप्ति राशि 1584=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 7610=43
5. दिनांक 14.9.89 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } 2000=00
6. 14.9.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 5610=43
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 48=79
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 14.9.89=26 दिन
15.9.89 से 19.8.90 {339 दिन} 468=97
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 6128=19

नोट :- रु. 5610=43 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक
15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गणत द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



: 60 :

वाद संख्या : - 5/80/112

खतदार का नाम : - भोरिया पुत्र नानगा जाति मीणा

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धरा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 8 जिस्वा 02 388800=00
ग्राम नगरियावास भूमि की दर 48000/
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआव अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 13350=00
3. योग { 1 + 2 } 402150=00
2. धरा 23 {1} {2} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक {कुल 429 दिन} 56719=67
3. धरा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 120645=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 579514=67
5. दिनांक 17.10.89 को भुगतान प्राप्त
राशि {80%} {-} 177000=00
6. 17.10.89 शेषभुगतान
योग्य राशि 402514=67
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 8430=74
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 17.10.89=59 दिन
18.8.90 से 19.8.90=306 दिन 30370=55
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 441315=96

नोट:- रु. 402514=67 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15% की दर से ब्याज देना होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद लेखा :- 5/88/119

छातेदार का नाम :- गंगा पुत्र भोरीतात व भोरीतात पुत्र गंगा ल

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा जीघा 13 बिस्वा 11 650400=00
ग्राम कुशिय पुरा भूमि की दर 48000/-
रु प्रति जीघा ।
2. पेड़, पाँधे, डोला, दुध व अन्य निर्माण का तकमिना गण्डल के अनुसार 2350=00
3. योग { 1 + 2 } 652750=00
2. धारा 23(1) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त गुआवजा राशिवाधिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक कुल 429 दिन 92064=57
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अतिरिक्त अवाप्ति राशि 195825=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 940639=57
5. दिनांक 19.8.89 को भुगतान प्राप्त राशि { 80% } -
6. 19.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि 940639=57
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90 84657=56
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि । 1025297=13

नोट:- रु. 940639=57 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद सँ या :- 5/88/114

आवेदक का नाम :- मोहन पुत्र राम नारायण

1. भूगो की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकबा बीघा 1 जिसका 10 72000=00
ग्राम लक्ष्मीबागोदर पुरा भूगो की दर 40 00/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना गण्डल के अनुसार -
3. योग { 1 + 2 } 72000=00
2. धारा 23(1)(ii) के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.8.88
से 19.8.89 तक {कुल-430 दिन} 10178=62
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य
अवाप्ति राशि 121600=00
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 103778=62
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 103778=62
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 9340=07
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 113118=69

नोट :- रु. 103778=62 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना गण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



वाढ संख्या :- 5/99/117

छातेदार का नाम :- नारायण पुत्र धन्ना जाति मीणा

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धरा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 7 जिस्वा 16 374400=00
ग्राम लक्ष्मीदासोदरपुरा भूमि की दर 4000/-
रु. प्रति बीघा ।
2. पेड़, पोथे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीनामण्डल के अनुसार 163834=57
3. योग { 1 + 2 } 538234=57
2. धरा 23 {1} के अन्तर्गत 82 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक {कुल 430 दिन} 76090=14
3. धरा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 161470=37
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 775795=08
5. दिनांक 25.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } 199000=00
6. 25.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 576795=08
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 1147=75
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 25.8.89
7757954-6 दिन
26.8.89 से 19.8.90 =359 दिन 51050=21
8. दिनांक तक भुगतान योग्य
राशि । 629001=01

नोट :- रु. 576795=08 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद किया :- 5/88/120

आलेदार का नाम :- पश्चि पूव दूध मीठा व मखारमा, जगन्नाथ पूरमा
पि० केलना मीठा

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) राशि
रकवा बीघा - बिस्वा 11 21000=00
ग्राम कुहसिंहपुरा भूमि की दर 52000/- से 7 बिस्वा
40000/- से 4 बिस्वा
11
2. पेड पाँधेछोला, कुआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 666=38
3. योग } 1 + 2 } 28746=38
2. धारा 23 (1) ए के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक कुल 429 दिन } 4054=42
3. धारा 23(2) के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवधि राशि 5623=91
4. योग = } 1 + 2 + 3 } -
5. दिनांक 19.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि } 80% } 41424=71
6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 41424=71
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 3728=42
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि 45152=93

नोट :- रु. 41424=71 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।

वाद संख्या :- 5/80/121

खतेश्वर का नाम :- नानगा, नारायण पि० दाधू

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा बीघा 10 बिस्वा 20 528000=00
ग्राम श्यापुर भूमि की दर 40000/-
रु प्रति बीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला, कुआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार 64135=40
3. योग { 1 + 2 } 592135=40
4. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88 से 19.8.89 तक {कुल 430 दिन} 83710=09
5. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त अवाप्ति राशि 177640=62
6. योग = { 1 + 2 + 3 } 853486=11
7. दिनांक की भुगतान प्राप्त राशि { 80 % } -
8. शेषभुगतान योग्य राशि -
9. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज - 76813=74
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
10. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य राशि- 930299=85

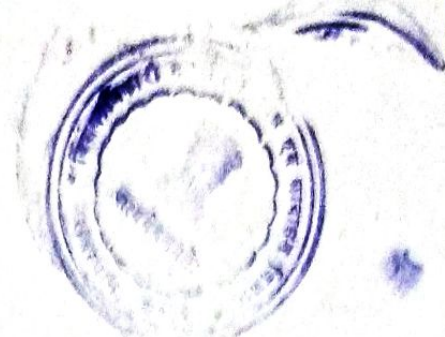
नोट :- रु. 853486=11 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

वाद सूचना :- 5/88/122

आवेदार का नाम :- मारता, जगन्नाथ सुता पुत्र किलन

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} रकबा बीघा 10 जिसका 17 ग्राम कुसिलपुरा भूमि की दर 40000/- रु. प्रति बीघा राशि 520000=00
2. पेड़, पौधे डोला, कुंआ व अन्ना निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार राशि 116388=61
3. योग { 1 + 2 } राशि 637188=61
2. धारा 23 {1} {ए} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त गुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15.6.88 से 18.8.89 तक कुल 429 दिन} राशि 89869=77
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य अवाप्ति राशि राशि 191156=58
4. योग = { 1 + 2 + 3 } राशि 918214=96
5. दिनांक 18.8.89 को भुगतान प्राप्त राशि { 80 % } -
6. 18.8.89 शेष भुगतान योग्य राशि राशि 918214=96
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9 % की दर से ब्याज राशि 82639=34
- दिनांक 19.8.89 से दिनांक 18.8.90
8. दिनांक 18.8.90 तक भुगतान योग्य राशि राशि 1000854=30

नोट :- रु. 918214=96 पर दिनांक 19.8.90 से भुगतान की तिथि तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।



वाद संख्या :- 5/88/123

खतेदार का नाम :- कल्याण पुत्र गंगाराम मीणा , भोला पुत्र गोपाल मीणा

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि

रकबा बीघा - विस्वा 02 4800=00

ग्रामभूमि की दर 48000/-

रु. प्रति बीघा ।

2. पेड़, पौधे, कोला, कुआ, व अन्ना निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार -

3. योग { 1 + 2 } 4800=00

2. धारा 23 {1} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त

मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88

से 19.8.89 तक {कुल 429 दिन} 677=99

3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अतिरिक्त
अवाप्ति राशि 1440=00

4. योग = { 1 + 2 + 3 } 6917=99

5. दिनांक 19.8.89 को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -

6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग राशि 6917=00

7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 622=61
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90

8. दिनांक 19.8.90 से दिनांक 19.8.90

8. दिनांक 19.8.90 तक भुगतान योग्य
राशि । 7540=60

नोट:- रु. 6917=99 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।

वाद संख्या :- 5288/125

जालेदार का नाम :- भोरया पुत्र घासी, भालावरा पुत्र रामनाथ जाट

1. भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 {1} राशि
रकबा जीघा 14 बिस्वा 10 696000=00
ग्राम जुहलसिंह पुरा भूमि की दर 4000/-
रु प्रति जीघा ।
2. पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण
का तकमीना मण्डल के अनुसार 2891=82
3. योग { 1 + 2 } 698891=82
2. धारा 23 {1} के अन्तर्गत 12 % अतिरिक्त
मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16.6.88
से 19.8.89 तक कुल 430 दिन { 98802=23
3. धारा 23 {2} के अन्तर्गत 30 % अनिवार्य
अवाप्ति राशि 209667=54
4. योग = { 1 + 2 + 3 } 1007361=59
5. दिनांक को भुगतान प्राप्त
राशि { 80 % } -
6. 19.8.89 शेष भुगतान
योग्य राशि 1007361=59
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष
तक 9 % की दर से ब्याज 90662=53
दिनांक 20.8.89 से दिनांक 19.8.90
8. दिनांक 19.8.89 तक भुगतान योग्य
राशि । 1098024=12

नोट :- रु. 1007361=59 पर दिनांक 20.8.90 से भुगतान की तिथि
तक 15 % की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जावेगी ।



उपरोक्त जवाईद रा जस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 936/नविज/3/83 जयपुर दिनांक 30.5.91 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर रा जस्थान सरकार द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। अतः अतः दिनांक 30.5.91 को भूमेय के मूलावली का जवाईद उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार जवाईद सभी पत्रावलियों शामिल फाइल किया जाकर धारा 12 (2) के अन्तर्गत सम्बन्धित छातेदारानु को जवाईद की प्रतिलिपि सहित नोटिस भेजकर प्रेषित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवश्यक विभाग रा जस्थान जयपुर, सचिव रा जस्थान आवासन मण्डल जयपुर व तहसीलदार सांगानेर को भी भेजी जावे।

जवाईद सरेइजलास घोषित किया गया। मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्राके साथ दिनांक 30.5.91 को जारी किया गया।

विशेष अधिकारी,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज0 जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. सचिव, रा जस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भुगतान करने हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर।
4. सम्बन्धित छातेदार श्री-----।

विशेष अधिकारी,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राज0 जयपुर।